हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2014 से 3/2015

भाग–एक

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा तकनीकी शिक्षा बोर्ड, अधिनियम 1986 की धारा 20 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी तकनीकी शिक्षा बोर्ड में कार्यरत रहेः–

क्रम संख्या	नाम	पद	अवधि
1	श्री बलवीर टेगटा	अध्यक्ष	2.07.13 से 31.3.15
2	श्री सुनील कुमार वर्मा	सचिव	17.3.10 से लगातार
3	श्री मुलख राज शर्मा	आहरण एवं वितरण अधिकारी	19.3.10 से 11.4.14
4	श्री आर0एस0 कटोच	आहरण एवं वितरण अधिकारी	12.4.14 से 23.2.15
5	श्री एम0डी0 शर्मा	आहरण एवं वितरण अधिकारी	24.2.15 से लगातार

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0 सं0	विवरण	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	दिनांक 31.3.15 को अग्रधन की राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	5	1.01
2	उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने बारे	8	8.64
3	एच0आर0टी0सी0 से बकाया राशि न वसूलने बारे	9	15.00
4	निदेशक, तकनीकि शिक्षा को बिना किसी आधार के राशि भेजने बारे	10	26.35

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष लम्बित पैरों पर की गई कार्यवाई की समीक्षा वर्तमान अंकेक्षण के दौरान की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि बोर्ड प्रशासन द्वारा पुराने अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने के उपरान्त अभी भी बहुत पैरे अनिर्णीत हैं। अतः परामर्श दिया जाता है कि गत सभी अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष अनुच्छेदों पर वंछित कार्रवाई शीघ्र अमल में लाई जाए तथा पैरों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर आगामी अंकेक्षण पर करवाया जाए। वर्तमान अंकेक्षण के पश्चात निपटारे हेतु शेष पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–"A"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेद में दिए गए हैं, श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 1.10.2015 से 7.11.2015 के दौरान कार्यालय परिसर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 5/2014 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 2/2015 को चयनित किया गया।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन बोर्ड के नियन्त्रण अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेदारी लेने से इन्कार करता है।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹21,000 बनता है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को भिजवाने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 196, दिनांक 7.11.15 द्वारा सचिव हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड से अनुरोध किया गया जिस पर कार्यवाई करते हुए बोर्ड द्वारा उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्याः 800675, दिनांक 1.12.15 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 को प्रेषित कर दी गई।

4 वितीय स्थिति

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई बोर्ड की अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रहीः–

(क) General + Pat Cash Book 2014-15 (परिशिष्ट–"B")

विवरण	राशि
आरम्भिक शेष	**14,91,88,027.31**
पावतियां	9,20,86,021.00
ब्याज (बचत)	13,35,288.00
ब्याज (सावधि)	1,49,38,309.00
कुल जोड़	**25,75,47,645.31**
व्यय	5,86,01,038.00
अन्तशेष	**19,89,46,607.31**

अन्तशेष का विवरण

दिनांक 31.3.15 को सामान्य निधि से सम्बन्धित बचत खातों में तथा सावधि जमा योजना में निवेशित राशि के अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया। **(परिशिष्ट–"B-1 व B-2)**

बैंक खातों में जमा राशि (परिशिष्ट–"B-1)

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	के0सी0सी0 बैंक	20129033816	20,76,701.00
2	एस0बी0आई0	10551097385	14,09,331.73
3	यूको बैंक	11510110009284	35,55,526.00
4	के0सी0सी0 (PAT)	20129032449	6,57,039.00
5	एस0बी0आई0 (PAT)	10551212323	32,568.58
6	हिमाचल ग्रामीण बैंक	87950100608745	17,39,914.00
7	यूको बैंक	26030110001707	25,11,253.00
		योग	**₹1,19,82,333.31**
सामान्य निधि + PAT निधि से सम्बन्धित सावधि जमा योजना में निवेशित राशि (परिशिष्ट–"B-2")			**₹18,89,03,135.00**
कुल योग			**₹20,08,85,468.31**

नोट–1 दिनांक 31.3.14 को रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तशेष में (₹20,08,85,468.31 – ₹19,89,46,607.31 = ₹19,38,861.00) का अन्तर पाया गया, जिससे सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट–"B-1"** पर दी गई है।

नोट–2 उक्त **परिशिष्ट–"B-1"** पर वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशियाँ पिछले कुछ वर्षों से अनिर्णीत चली आ रही है, जिसका समायोजन करके तदानुसार बैंक समाधान विवरणिका तैयार की जाए।

नोट–3 उक्त **परिशिष्ट–"B-1"** मे वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ ड्राफ्ट बैंक में जमा दर्शाए गए हैं जिनको बैंक द्वारा 31.3.15 तक क्रैडिट नहीं किया गया है। अतः इन ड्राफ्टों को 31.3.15 के पश्चात बैंक के क्रैडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार बैंक समाधान विवरणिका में कुछ चैक जारी किए गए हैं जिनको दिनांक 31.3.15 तक बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इन चैकों को 31.3.15 के पश्चात प्रस्तुत करने की तिथि अंकित की जाए तथा इनमे से जो चैक निर्धारित समय अवधि तक भी बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, उन चैकों के बारे में नियमानुसार कार्यवाई अमल में लाकर इनको वापिस खातों में जमा किया जाए।

नोट–4 उक्त **परिशिष्ट–''B-1''** में वर्णित बैंक समाधान विवरणी के अनुसार के0सी0सी0 बैंक द्वारा दिनांक 31.3.14 व 30.11.14 को ₹2,71,523 का ब्याज क्रैडिट किया गया परन्तु बोर्ड द्वारा उक्त ब्याज की राशि को निधि की रोकड़ बही में दिनांक 31.3.15 तक दर्ज नहीं किया गया जिसे 31.3.15 के पश्चात रोकड़ बही में क्रैडिट करना सुनिश्चित किया जाए।

नोट–5 इसके अतिरिक्त उक्त **परिशिष्ट–''B-1''** में वर्णित बैंक समाधान विवरणीका में अन्य अन्तर की राशियों के बारे में भी नियमानुसार कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) TWF CASH BOOK 2014-15 (परिशिष्ट–C)

विवरण	राशि
आरम्भिक शेष	**4,38,720.67**
पावतियां	83,828.00
ब्याज	17,445.00
योग	**5,39,993.67**
व्यय	शून्य
अन्तशेष	**5,39,993.67**

अन्तशेष का विवरण

TWF CASH BOOK से सम्बन्धित बैंक खाते में दिनांक 31.3.15 को अन्तशेष निम्न प्रकार से रहा :– **(परिशिष्ट–''C-1")**

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	एस0बी0आई0	10551210336	5,12,604.67

नोट–1 दिनांक 31.3.15 को रोकड़ बही तथा बैंक खाते में जमा राशि में (₹5,39,993.67 – ₹5,12,604.67 = ₹27,389.00) का अन्तर पाया गया, जिससे सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट–''C-1''** पर दी गई है।

नोट–2 उक्त **परिशिष्ट–''C-1''** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशियाँ पिछले कुछ वर्षो से अनिर्णीत चली आ रही है, जिसका समायोजन करके तदानुसार बैंक समाधान विवरणिका तैयार की जाए।

नोट–3 उक्त **परिशिष्ट–''C-1''** मे वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में चैक बैंक में जमा दर्शाए गए हैं जिनको बैंक द्वारा 31.3.15 तक क्रैडिट नहीं किया गया है। अतः इन चैकों को 31.3.15 के पश्चात बैंक से क्रैडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) CPF CASH BOOK 2014-15 (परिशिष्ट–D)

विवरण	राशि
आरम्भिक शेष	**1,51,89,157.06**
पावतियां	20,73,246.00
ब्याज (सावधि+बचत)	15,68,893.00
सामान्य खाता से हस्तांतरित	1,50,000.00
योग	**1,89,81,296.06**
व्यय	5,70,181.00
अन्तशेष	**1,84,11,115.06**

अन्तशेष का विवरण

CPF CASH BOOK से सम्बन्धित बैंक खातों में दिनांक 31.3.15 को अन्तशेष निम्न प्रकार से रहा :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	परिशिष्ट	खाता संख्या	राशि
1	एस0बी0आई0	परिशिष्ट–''D-1''	10551097396	6,51,152.06
2	राशि सावधि जमा में निवेशित	परिशिष्ट–''D-2''		1,76,89,531.00
			कुल योग	**₹1,83,40,683.06**

नोट–1 दिनांक 31.3.15 को रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तशेष में (₹1,84,11,115.06 – ₹1,83,40,683.06 = ₹70,432.00) का अन्तर पाया गया, जिससे सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणिका **परिशिष्ट–''D-1''** पर दी गई है।

नोट–2 उक्त **परिशिष्ट–''D-1''** में वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशियाँ पिछले कुछ वर्षों से अनिर्णीत चली आ रही है, जिसका समायोजन करके तदानुसार बैंक समाधान विवरणिका तैयार की जाए।

नोट–3 उक्त **परिशिष्ट–''D-1''** मे वर्णित बैंक समाधान विवरणिका में कुछ राशियां बैंक में जमा दर्शाई गई हैं जिनको बैंक द्वारा 31.3.15 तक क्रैडिट नहीं किया गया है। अतः इन राशियों को 31.3.15 के पश्चात बैंक से क्रैडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

नोट–4 बोर्ड की C.P.F से सम्बन्धित दायित्व (Liabilities) तथा उसका भुगतान करने के लिए C.P.F से सम्बन्धित विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि एवं सावधि में जमा राशि का विवरण **परिशिष्ट–''D-3''** पर दिया गया है।

नोट–5 (i) गत अंकेक्षण के पैरा 4(ग) के नोट–4 के अनुसार ₹1,50,002 का अन्तर पाया गया था। यह अन्तर इस लिए आया था क्योकि इसमें से ₹1,50,000 सामान्य निधि से अंशदायी भविष्य निधि में बजट प्रावधान के अनुसार तबदील की गई थी तथा ₹2 का अन्तर कर्मचारियों के CPF खातों में भिन्नता के कारण पाया गया, जिसका बोर्ड द्वारा समाधान कर लिया गया है।

(ii) इसी प्रकार वर्ष 2013–14 में निम्न विवरणानुसार दिनांक 1.4.13 को प्रारम्भिक शेष की ₹1,32,82,880 तथा 31.3.14 को Ledger के अनुसार अन्तिम शेष की ₹1,53,80,405 थी, जोकि गलती से ₹1,56,74,196.06 ली गई थी। इस सन्दर्भ में कुछ कर्मचारियों के CPF खाते में लगे ब्याज मे भिन्नता पाई गई थी, जिनका बोर्ड द्वारा समाधान कर लिया गया है।

दिनांक 1.4.13 को आरम्भिक शेष	**1,32,82,880.00**
वेतन बिलों से प्राप्त आय	21,16,437.00
सामान्य निधि से बजट प्रावधान अनुसार जमा	3,00,000.00
CPF होल्डर के पक्ष में ब्याज	11,89,486.00
जोड़	**1,68,88,803.00**
वर्ष 2013–14 में भुगतान	12,08,398.00
31.3.14 को अन्तशेष	1,56,80,405.00
सामान्य निधि से प्राप्त राशि	3,00,000.00
CPF Ledger अनुसार 31.3.14 को अन्तशेष	**1,53,80,405.00**

(घ) गुप्त निधि 2014–15 (परिशिष्ट–E)

परिशिष्ट–E में संलग्न उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार गुप्त निधि खाते को हस्तांतरित की गई राशि व उसमें से किए गए व्यय एवं अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से रहा :–

विवरण	**राशि**
आरम्भिक शेष	**4,32,722.74**
सामान्य खाते से हस्तांतरित राशि	40,00,000.00
ब्याज	30,467.00
योग	**44,63,189.74**
व्यय	42,21,110.00
अन्तशेष	**2,42,079.00**

5 दिनांक 31.3.15 को अग्रधन की ₹1,01,106 का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.3.15 के विभिन्न विभागों/कर्मचारियों के नाम अग्रधन के रूप में ₹1,01,106 समायोजन हेतु शेष पाई गई, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **(परिशिष्ट–F)** पर दिया गया है। जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि अग्रधन के रूप में समायोजन हेतु शेष कुछ राशियाँ वर्ष 1987 से 1992 से सम्बधित है तथा लगभग 22 से 25 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी इनके समायोजन हेतु कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अतः अग्रधन के रूप में समायोजन हेतु शेष पड़ी राशियों का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बही व CPF रजिस्टर का रख–रखाव नियमानुसार न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व CPF रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि जब भी रोकड़ बही व CPF रजिस्टर में कोई गलती हो जाती है अथवा किसी मद का गलत ईन्द्राज हो जाता है तो बोर्ड प्रशासन द्वारा उसे काट कर एवं ठीक करके मद को पुनः लिखने के स्थान पर गलत ईन्द्राज के उपर फ्लूड लगाकर उसे ठीक कर दिया जाता है, जोकि अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही की जाँच में यह भी पाया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में मासिक विवरण नहीं दिया गया है। इस कारण संस्था की वित्तीय स्थिति की जाँच में तथा बैंक से मिलान करने में अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। रोकड़ बही व CPF में पाई गई उक्त अनियमितताओं को सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड के साथ चर्चा के दौरान ध्यान में लाया गया व उनके द्वारा समस्त अभिलेख ठीक ढंग से तैयार करने का आश्वासन दिया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जब कभी भी रोकड़ बही में किसी ईन्द्राज को ठीक करना है तो पुरानी प्रविष्टि को काट कर तथा नई प्रविष्टि को पुनः लिखकर इसे सक्षम अधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई कुल आय तथा माह के दौरान किए गए कुल व्यय का विवरण देने के उपरान्त अन्तशेष का भी विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए तथा रोकड़ बही के शेष का बैंक से मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रसीदों का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न करने बारे

संस्था द्वारा छात्रों को फीस की वसूली हेतु प्रयोग की गई रसीद बुकों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में प्रयोग की गई रसीद बुकों व शेष रसीद बुकों की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने बारे

तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा मुख्य अधीक्षण अभियन्ता हिमाचल प्रदेश औधौगिक विकास कॅरपोरेशन लिमिटेड शिमला तथा अधीक्षण अभियन्ता HIMUDA के पास डिपोजिट वर्क स्कीम के अन्तर्गत निर्माण कार्यों हेतु दिनांक 31.3.15 तक निम्न विवरणानुसार ₹8,63,929 जमा करवाई गई, परन्तु इन कार्यों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इन उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित विभाग से अविलम्ब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए।

क्र0सं0	कार्य का नाम	ड्राफ्ट संख्या व दिनांक	राशि
1	SRMO Office & Staff Quarters	558770, दिनांक 16.6.14	93,300
2	SRMO Office & Staff Quarters	496950, दिनांक 17.12.14	27,600
3	C/O Office & Staff Quarters	560703, दिनांक 31.3.15	7,43,029
		योग	**₹8,63,929**

9 एच0आर0टी0सी0 से TMPA (कण्डक्टर) पदों के स्क्रीनिंग टैस्ट हेतु बकाया ₹15 लाख न वसूलने बारे

तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा कण्डक्टर भर्ती की परीक्षा हेतु गठित कमेटी द्वारा कुल ₹30 लाख की मांग प्रबन्ध निदेशक, एच0आर0टी0सी0 से की गई परन्तु एच0आर0टी0सी0 द्वारा केवल ₹15 लाख ही बोर्ड निधि में जमा करवाए गए। सचिव, तकनीकी शिक्षा बोर्ड के पत्र संख्याः 10392, दिनांक 19.9.14 व पत्र संख्याः 11508, दिनांक 17.10.14 द्वारा बकाया ₹15 लाख वसूलने हेतु एच0आर0टी0सी0 से अनुरोध किया गया परन्तु एच0आर0टी0सी0 द्वारा उक्त बकाया राशि को जमा नहीं करवाया गया। अतः उक्त बकाया ₹15 लाख को वसूलने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं व उक्त बकाया राशि की वसूली करके बोर्ड निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 निदेशक तकनीकी शिक्षा को प्रोस्पैक्टस हेतु ₹26,35,800 बिना किसी आधार के भेजने बारे

तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा वाऊचर संख्याः 720, दिनांक 9.1.15 के अन्तर्गत निदेशक तकनीकी शिक्षा को LEET & PAT के प्रोस्पैक्ट्स की बिक्री से प्राप्त आय में से ₹26,35,800 भेजी गई, परन्तु उक्त राशि किस आधार पर तथा कितने छात्र संख्या इत्यादि के लिए निदेशक, तकनीकी शिक्षा को भेजी गई, इससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके भुगतान की औचित्यता एवं सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नही की जा सकी। अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाएं।

11 विवरण परिचायकाओं/प्रोस्पैक्टस की छपवाई तथा बिक्री इत्यादि से सम्बन्धित पाई गई अनियमितताएं

तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा समय–समय पर छपवाए गए ''प्रोस्पैक्टस'' से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(क) ''प्रोस्पैक्टस'' की अत्याधिक मात्रा में छपवाई करवाना

गत वर्षों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा छपवाए गए व बिक्री किए गए प्रोस्पैक्टस का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

	छपवाई	बिक्री	शेष
	वर्ष 2012		
पैट (PAT)	30000	19089	10911
लिट (LEET)	6000	1959	4041
		कुल योग	**14952**
	वर्ष 2013		
पैट (PAT)	30000	16530	13470
लिट (LEET)	5000	2891	2109
		कुल योग	**15,579**
	वर्ष 2014		
पैट (PAT)	22000	14177	7823
लिट (LEET)	4500	3395	1105
		कुल योग	**8,928**

उपरोक्त विवरण से सपष्ट होता है कि प्रत्येक वर्ष छपवाए गए प्रोस्पैक्टस की तुलना में प्रोस्पैक्टस की बिक्री कम हो रही है तथा हर वर्ष लगभग 9000 से 15000 प्रोस्पैक्टस बिना बिक्री के रह जाते हैं। इस प्रकार बोर्ड द्वारा मांग का सही आंकलन नहीं किया जा रहा है। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर अपेक्षित जाँच करने के उपरान्त तथा गत वर्षों की मांग के अनुपात को तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रोस्पैक्टस की छपवाई ही करवाई जाए, जिससे प्रोस्पैक्टस की छपवाई पर किए जा रहे अनावश्यक व्यय को कम किया जा सके।

(ख) प्रोस्पैक्टस के वितरण व वापिसी पर अपेक्षित सत्यापन न करवाया जाना

बोर्ड द्वारा विभिन्न तकनीकी विद्यालयों को प्रोस्पैक्टस बिक्री के लिए भेजे जाते हैं। जाँच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा बिक्री के लिए प्रोस्पैक्टस न तो क्रमानुसार भेजे गए हैं और न ही किसी अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन किया गया है। इसके अतिरिक्त बिक्री न हो जाने के पश्चात जो प्रोस्पैक्टस वापस आते हैं उनका भी किसी अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया है, जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किस–किस क्रम वाले कितने प्रोस्पैक्टस भेजे गए और कितने प्रोस्पैक्टस वापस आये हैं। अतः बिक्री के लिए भेजते समय व वापिसी पर इनका सत्यापन सक्षम अधिकारी से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा के रूप में ₹690 का अधिक भुगतान करने बारे

वाऊचर संख्याः 820, माह 2/15 द्वारा श्री सुरेश कुमार, अधीक्षक को ₹3,549 का भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा हेतु किया गया। उक्त वाऊचर के अन्तर्गत T3, T4, TSH टैस्ट के लिए ₹890 का भुगतान किया गया, जबकि यूजर चार्जिज की रेट लिस्ट के अनुसार उक्त टैस्ट के लिए केवल ₹200 का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार (₹890 – ₹200 = ₹690) का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करके बोर्ड निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 यात्रा भत्ता के रूप में ₹6,259 का अधिक भुगतान करने बारे

माह 2/15 के यात्रा भत्ता दावा बिल/वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹6,259 का अधिक भुगतान किया गयाः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	पद नाम	भुगतान की राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
1	श्री राजीव भारद्वाज	प्रवक्ता	4772	4664	108
2	श्री सचिन स्लोत्रा	प्रवक्ता	5272	4860	412
3	श्री अविनाश कुमार	प्रवक्ता	3540	2678	862
4	श्री कुमुद सैनी	प्रवक्ता	1320	1140	180
5	श्री हंस राज	प्रवक्ता	2520	1620	900
6	श्री चन्द्र शेखर	एच0ओ0डी0	1696	1470	226
7	श्री के0सी0 कटोच	प्रवक्ता	6180	5980	200
8	श्री राजेश कुमार	प्रवक्ता	2066	1886	180
9	श्री अजय शर्मा	प्रवक्ता	840	786	54
10	श्रीमती वनिता आर्या	प्रधानाचार्य	600	507	93
11	श्री सतीश शर्मा	एच0ओ0डी0	600	507	93
12	श्री आर0एस0 बरवाल	एच0ओ0डी0	4970	4848	122
13	श्री पी0के0 शर्मा	एच0ओ0डी0	5200	5000	200
14	श्री अरूण कुमार	प्रवक्ता	6888	6708	180
15	श्री पारूल गुप्ता	प्रवक्ता	6776	6596	180
16	श्री कुलदीप कुमार	प्रवक्ता	2212	1756	456
17	श्री संदीप कुमार	प्रवक्ता	2060	1868	192
18	श्री तिलक राज	जी0आई0	3006	2928	76
19	श्री दिनेश कुमार	Instructer	1212	1124	88

20	श्री सुभाष चन्द्र शर्मा	जी0आई0	3590	3512	78
21	श्री चन्द्रेश कुमार	प्रवक्ता	5660	5478	182
22	श्री सुनील कुमार	जी0आई0	2940	2732	208
23	श्री राम चन्द्र	जी0आई0	4906	4490	416
24	श्री जी0सी0 परिहार	जी0आई0	2312	2104	208
25	श्री ब्रिजलाल	जी0आई0	3565	3461	104
26	श्री रमन कुमार	प्रवक्ता	1811	1666	145
27	श्री मुल्तान चन्द	लिपिक	1475	1359	116
				कुल योग	**₹6,259**

अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर भी जाँच की जाए तथा यात्रा भत्ते के रूप में अधिक भुगतान की गई उक्त ₹6,259 की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके बोर्ड निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

14 कुटेशने व स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत न करने बारे

मैं0 मणिमहेश ओफ्सैट प्रिंटिंग प्रेस (घरोह) धर्मशाला को 30000 लिफाफों की आपूर्ति हेतु उनके बिल संख्याः 369, दिनांक 19.3.15 के एवज़ में वाऊचर संख्याः 915, माह 3/15 द्वारा ₹2,69,000 का भुगतान किया गया, परन्तु उक्त लिफाफों की खरीद से सम्बन्धित कुटेशने, स्टोक प्रविष्टियाँ व अन्य अभिलेख अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में भुगतान की दरों व खरीद की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके अनुपालना की जाँच करवाई जाए।

15 बिल/वाऊचर प्रस्तुत न करने बारे

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित बिल/वाऊचर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव भुगतान की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः बिल/वाऊचर प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इन बिल/वाऊचरों को ढूंड कर आगामी ऑडिट में अनुपालना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

वाऊचर संख्या	माह	फर्म का नाम	राशि
748	1/15	मैं0 ओ0एम0आर0 इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली	5,98,887
880	3/15	मैं0 धर चार्टेड अकाउंटैंट धर्मशाला	34,000
920	3/15	मैं0 ठाकुर मोटर्स ठाकुरद्वारा	48,958

16 सेवा पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे

श्री सन्त लाल (वरिष्ठ सहायक) की सेवा पुस्तिका अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में वर्ष 2014–15 में उक्त कर्मचारी को दिए वित्तीय लाभ व अर्जित व अन्य अवकाशों के शेष इत्यादि की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः उक्त सेवा पुस्तिका को जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 ई0सी0आर0 व टी0ए0 चैक रजिस्टर को प्रस्तुत न करने बारे

चयनित मासों के वेतन बिल व टी0ए0 बिल/वाऊचरों की जाँच हेतु ई0सी0आर0 व टी0ए0 चैक रजिस्टर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच में प्रस्तुत नही किए गए जिसके कारण कोई दोहरा अथवा अधिक भुगतान हुआ है अथवा नहीं, इसकी जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त रिकॉर्ड अनुपालना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 वाहन

तकनीकी शिक्षा बोर्ड के वाहन पर किए गए खर्चे से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में निम्नलिखित अनियमितता पाई गई

(क) वाहन संख्याः एच0पी0–39–4315 की औसत कम दर्शाने बारे

जाँच मे पाया गया कि बोर्ड द्वारा वाहन संख्याः एच0पी0–39–4315 की औसत कम दर्शाई जा रही है। इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि एस0डी0ओ0 (पी0 डब्लयू0डी0) धर्मशाला द्वारा उक्त वाहन की औसत 7.06 कि0मी0 प्रतिलीटर निर्धारित की गई है। इस प्रकार व्हीकल मेनटेन्स एक्ट के अनुसार इसी औसत के अन्दर गाड़ी चलानी आवश्यक होती है, परन्तु वाहन की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि इस वाहन की औसत निम्नानुसार दर्शाई जा रही है व तेल की खपत अधिक दर्शाई गई है।

माह	माह में की गई कुल यात्रा	माह में दर्शाई गई औसत प्रति लीटर	माह में औसत अनुसार तेल खपत	7.06 लीटर प्रति कि0मी. पर वांछित खपत	माह में की गई अधिक खपत
4/14	3068	7.02	431	428	3
5/14	1911	7.00	273	270	3
6/14	2929	7.02	417	415	2
9/14	1700	7.00	243	240	3
10/14	1333	7.01	190	188	2
11/14	1520	7.00	217	215	2
12/14	1142	7.00	163	161	2
01/15	1854	6.50	285	263	22
03/15	710	6.69	106	100	6
				कुल अधिक खपत	**45 लीटर**

अतः उक्त वाहन की औसत को कम दर्शाने के परिणामस्वरूप पूर्ण अवधि में अधिक इस्तेमाल किए गए तेल की कीमत उचित स्त्रोत से वसूली करके बोर्ड निधि में जमा करवाई जाए व की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(ख) वाहन संख्याः एच0पी0–39बी–3323 की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवाने बारे

उपरोक्त वाहन की लॉग बुक की जाँच कारने पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा इस वाहन की औसत तेल खपत किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से निर्धारित नहीं करवाई गई है तथा बोर्ड द्वारा इस वाहन की निम्नविवरणानुसार प्रत्येक माह में अलग–अलग औसत दर्शाई जा रही है।

अवधि माह	औसत
4/2014	8.00
5/2014	8.00
6/2014	8.00
7/2014	7.53
8/2014	7.32
9/2014	7.42
10/2014	7.50
11/2014	8.00
12/2014	8.06
01/2015	7.63
02/2015	8.00
03/2015	8.00

इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी परामर्श दिया गया था कि इस वाहन की औसत का निर्धारण किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, परन्तु अभी तक अंकेक्षण के इस सुझाव पर अमल नहीं लाया गया है। इस मामले पर सचिव, तकनीकी बोर्ड से चर्चा की गई व उन्होंने यह आशवासन दिया कि उक्त मामले पर शीघ्र कार्रवाई करके ऑडिट विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई से ऑडिट को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

19 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2014–15 के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (फिजिकल वेरिफिकेशन) नहीं की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा अविलम्ब प्रत्यक्ष

सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाई से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणिका** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

21 **निष्कर्ष** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)111/87–खण्ड–8–पार्ट–1090–1092, दिनांकः 11.02.2016, शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत

1) सचिव, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
3) विशेष सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

परिशिष्ट–"A"

पैरा संख्याः 1(घ) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1988 से 1989

क्र0 सं0	पैरा सं0	पैरे की स्थिति	पैरे का संक्षिप्त विवरण	
1	पैरा 5(ए)	निर्णीत	₹350 की कम वसूली	रसीद संख्या 62090, दिनांक 4.11.15 द्वारा वसूली कर ली गई है

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1990 से 1992

1	पैरा 7	अनिर्णीत	मानदेय राशि के भुगतान के सन्दर्भ में	
2	पैरा 15(क)	अनिर्णीत	प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में ₹3578 की वसूली बारे	
3	पैरा 15(ख)	अनिर्णीत	प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में ₹1614 की वसूली बारे	
4	पैरा 16	अंशतः निर्णीत	प्रतिनियुक्ति पर गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹36881 की वसूली बारे	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1992 से 1995

1	पैरा 8	अनिर्णीत	मानदेय के रूप में किए गए ₹10000 के भुगतान बारे	
2	पैरा 13	अनिर्णीत	प्रतिनियुक्ति के रूप में किए गए अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1995 से 1997

1	पैरा 10	अनिर्णीत	पी0ए0टी0 से सम्बन्धित मानदेय का अनियमित भुगतान	
2	पैरा 10(क)	अनिर्णीत	पी0ए0टी0 से सम्बन्धित मानदेय का अनियमित भुगतान	
3	पैरा 14(क)	निर्णीत	परीक्षा संचालन सम्बन्धी मापदण्डों के विपरीत अधिक भुगतान की गई ₹1565 की वसूली बारे	रसीद सं0 6206, दिनांक 5.11.15 द्वारा वसूली कर ली गई है।

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1997 से 1998

1	पैरा 9	निर्णीत	₹3808 की घटिया सामग्री की आपूर्ति के सन्दर्भ में	कार्रवाई देख ली है।
2	पैरा 22(ड़)	अनिर्णीत	अधिवक्ता के किए गए अधिक भुगतान के सन्दर्भ में	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2000 से 2001

1	पैरा 7	निर्णीत	आवास भत्ते के रूप में ₹6351 की वसूली बारे	रसीद सं0 62102, दिनांक 6.11.15 द्वारा वसूली कर ली है।

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2007 से 2008

1	पैरा 5(3)	निर्णीत	बैंक द्वारा ₹20450 का क्रैडिट न देने व ₹24688 का अकारण ही बैंक द्वारा डैबिट करना	पूर्ण कार्रवाई देख ली गई है।
2	पैरा 8	अनिर्णीत	बोर्ड की समस्त भूमि का राजस्व सम्बन्धी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने बारे	
3	पैरा 11	निर्णीत	हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसिज अंशदाय पैन्शन नियम 2006 को लागू न करने बारे	बोर्ड प्रस्ताव संख्या मद–5 बैठक 8.1.15 को लागू किया गया

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2008 से 2009

1	पैरा 13	निर्णीत	प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु अधिक किए गए भुगतान की वसूली बारे	रसीद सं0 62097, दिनांक 5.11.15 द्वारा वसूली कर ली गई है।
2	पैरा 16	निण्र्ीत	₹12449 के भुगतान बारे	कार्रवाई देख ली गई है।
3	पैरा 21(ख)	निर्णीत	लॉग बुक की यात्राएं बोर्ड के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित न करने बारे तथा यात्रा का उद्देश्य न दिए जाने बारे	कार्रवाई देख ली गई है।

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2009 से 2010

1	पैरा 6	निर्णीत	सम्बद्धता एवं निरीक्षण शुल्क की ₹50000 की वसूली बारे	पूर्ण कार्रवाई देख ली गई है।
2	पैरा 10	निर्णीत	वाहन सं0 एच0पी0–39–4315 के प्रयोग के सम्बन्ध में	कार्रवाई देख ली गई है।
3	पैरा 11	अनिर्णीत	अराजपत्रित अवकाश वाले दिन गाड़ी के प्रयोग बारे	

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2010 से 2011

1	पैरा 8	निर्णीत	विक्रय केन्द्रों से ₹220020 की वसूली न करना	वसूली देख ली गई है।
2	पैरा 11	अनिर्णीत	गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹28831 का अधिक भुगतान करने बारे	
3	पैरा 23	अंशतः निर्णीत	वाहन सं0 एच0पी0–39–3323 की खरीद एवं औसत तेल खपत बारे	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2011 से 2012

1	पैरा 9	अनिर्णीत	बिना सरकार की अनुमति के निदेशक, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश को ₹5 करोड़ प्रदान करने बारे	
2	पैरा 10	अनिर्णीत	आई0टी0आई0 परिसर धर्मशाला में कम्पयूटर प्रयोगशाला व तीन आवासों के निर्माण बारे	
3	पैरा 11	निर्णीत	विभागीय शुल्क के रूप में लगभग ₹172000 का अधिक भुगतान करने बारे	कार्रवाई देख ली गई है।
4	पैरा 15	अनिर्णीत	तकनीकि शिक्षा बोर्ड के वाहन पर किए गए खर्चे से सम्बन्धित अभिलेख में पाई अनियमितताएं	

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2012 से 2013

1	पैरा 7	निर्णीत	मैं0 एस0पी0एस0 इंटरनैश्नल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति देरी से करने पर उनसे जुर्माने की ₹68040 की वसूली न करना व प्रतिपूर्ति की ₹2 लाख को जब्त न करना	जुर्माने की राशि की वसूली जमानत राशि से दिनांक 6.11.15 को कर ली गई है।
2	पैरा 8	निर्णीत	मैं0 एस0पी0एस0 इंटरनैश्नल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति देरी से करने पर उनसे जुर्माने के रूप में अत्याधिक कम राशि वसूलना तथा Performance warenty की वसूली न करना	जुर्माने की राशि की वसूली जमानत राशि से दिनांक 6.11.15 को कर ली गई है।
3	पैरा 9(क)(ख)	निर्णीत	प्रोस्पैक्टस की प्रिंटिंग/छपवाई का कार्य न्यूनतम दर वाली संविदा फर्म के स्थान पर दूसरी फर्म को देकर फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाने बारे	कार्रवाई देख ली गई है।
4	पैर 10(क)(ख)	निर्णीत	वर्कशाप के आयोजन हेतु ₹3240 का अनुचित एवं अधिक भुगतान करना	कार्रवाई देख ली गई है।
5	पैरा 11	निर्णीत	पारिश्रमिक के रूप में ₹2700 का अधिक भुगतान करना	रसीद सं0 62082, दिनांक 4.11.15 द्वारा वसूली कर ली गई है।
6	पैरा 13(क)	अनिर्णीत	वाहन सं0 एच0पी0–39–4315 की औसत कम दर्शाने बारे	
7	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत	वाहन सं0 एच0पी0–39बी –4315 की औसत तेल की खपत का निर्धारण न करवाने बारे	
8	पैरा 15	अनिर्णीत	रसीदों को अनाधिकृत रूप से रद्द करना	
9	पैरा 16	अनिर्णीत	गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹15916 का अधिक भुगतान करना	

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2013 से 2014

1	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क	
2	पैरा 4	निर्णीत	वित्तीय स्थिति	पुनः प्रारूपित
3	पैरा 5	निर्णीत	सावधि जमा योजना मे ंराशि जमा न करवाने के कारण ब्याज के रूप में लगभग ₹352646 की हानि बारे	कार्रवाई देख ली गई है।
4	पैरा 6	निर्णीत	दिनांक 31.3.14 को अग्रधन की ₹19106 का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	पुनः प्रारूपित
5	पैरा 7	अंशतः निर्णीत	उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने बारे	क्र0सं0 1, 2 व 4 के उपयोगिता प्रमाण पत्र देख लिए गए हैं।
6	पैरा 8	अनिर्णीत	HPSIDC द्वारा खर्च न की गई ₹38643 को वापिस न लेने बारे	
7	पैरा 9	निर्णीत	मैं0 एस0पी0एस0 इंटरनैश्नल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति देरी से करने पर भी नियमानुसार जुर्माने की ₹48195 की वसूली न करने बारे	जुर्माने की राशि जमानत राशि से दिनांक 6.11.15 को कर ली गई है।
8	पैरा 10	निर्णीत	अनियमित रूप से जमानत की ₹140450 लौटाने बारे	बोर्ड की बैठक 49, दिनांक 21.1.14 के निर्णय अनुसार
9	पैरा 11(क)	निर्णीत	वाहन सं0 एच0पी0–39बी 4315 का गोपनीय कार्य के लिए प्रयोग बारे	कार्रवाई देख ली गई है।
	पैरा 11(ख)	अनिर्णीत	वाहन सं0 एच0पी0–39– 4315 की औसत कम दर्शान बारे	
	पैरा 11(ग)	अनिर्णीत	वाहन सं0 एच0पी0–39बी– 4315 की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवाने बारे	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹7071 का अधिक भुगतान करना	
11	पैरा 13	निर्णीत	स्टॉक प्रविष्टियाँ जाँच न करवाने बारे	स्टॉक प्रविष्टि देख ली गई है।
12	पैरा 14	निर्णीत	भुगतान की गई राशि हेतु सम्बन्धित फर्म के स्थान पर अन्य फर्म की वास्तविक भुगतान रसीद प्रस्तुत न करने बारे	कार्रवाई देख ली गई है।

अनिर्णीत पैरों का सार

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे		50
वर्ष 2014–15 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+)	17
कुल पैरे		67
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे		26
अन्तशेष (दिनांक 31.3.15 तक)		41